न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 24 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. चौखाराम पुत्र लिखमाराम उम्र 80 वर्ष जाति जाट, निवासी– निम्बला(नेतराड़) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर	बनाम	1.मोटाराम पुत्र लिखमाराम उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी निम्बाला(नेतराड़) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 2.तहसीलदार चौहटन

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2011 बअनवान मोटाराम बनाम चौखाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.08.2011 व 08.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री करनाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री खेताराम सैन रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 07.10.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस आशय का पेश किया कि अपीलांट व उतरदाता दोनो सगे भाई है तथा उनकी पैतृक सम्पति की भूमि ग्राम निम्बला, पटवार क्षेत्र नेतराड़ में खसरा संख्या 918 रकबा 0.07 बीघा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 919 रकबा 152.06 बीघा तथा मौजा सांईयों का तला में खेत खसरा संख्या 751 रकबा 01.02 बीघा गैर मुमकिन टांका, खसरा संख्या 752 रकबा 09.00 बीघा व खसरा संख्या 761 रकबा 55.14 बीघा आई हुई है जिसमें 1/2 हिस्सा अपीलांट का व 1/2 हिस्सा उतरदाता का है। उक्त भूमि में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.08.2011 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवारी व आर आई से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव बहामी बंटवाड़े व कब्जा काश्त के अनुसार तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.08.2011 एवं विभाजन प्रस्ताव दोनों एक–दूसरे के विपरित है। एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार चौहटन द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.08.2011 एवं विभाजन प्रस्ताव दोनों एक–दूसरे के विपरित है। विभाजन प्रस्ताव आने पर अपनी मनमर्जी से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ताक पर रख कर अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार चौहटन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई उसमें मौके पर अपीलांट व अपीलांट के पुत्रों की ढाणियां उतरदाता के हिस्से में आने वाली जमीन में दे दी गई है तथा जो विभाजन तैयार किया गया है, उसका अवलोकन करने से अपीलांट के खेतों को दो हिस्सो में विभक्त कर दिया गया है तथा उत्तरदाता का खेत एक ही जगह रखा गया है, उसमें भी उतरदाता के आने–जाने के लिये जो रास्ता दिया गया है, वह जमीन भी अपीलांट के हिस्से में दिखाई गई है, जबकि उक्त रास्ते का दोनों के द्वारा उपयोग व उपभोग किया जावेगा, ऐसी स्थिति में रास्ता की भूमि भी दोनों पक्षकारान के आधी–आधी काटनी चाहिये थी। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्तवा के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि दिनांक 27.02.2020 को उतरदाता मोटाराम पटवारी हल्का को साथ लेकर मौके पर आया तथा पटवारी हल्का सीमाओं के बारे में बताने लगा तब अपीलांट को सर्वप्रथम इस बात का ज्ञान हुआ कि विभाजन सही नहीं हुआ है तब गलत विभाजन का ज्ञान होने पर अपीलांट ने दिनांक 28.02.2020 को निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु नकल का आवेदन पेश किया, जो नकले दिनांक 05.03.2020 को प्रापत हुई तथा बाड़मेर आकर अपना अधिवक्ता मुकर्रर कर अपील प्रस्तुत करने हेतु कहा कानूनन नकले प्राप्त होने से एक माह के भीतर अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी, परन्तु दिनांक 22.03.2020 से सम्पूर्ण भारत में कोरोना माहमारी के चलते इस समावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी तथा म्याद के बिन्दु को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने परिपत्र के द्वारा दिनांक 15.03.2020 से आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.08.2011 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि <u>तहसीलदार स्वयं</u> द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति हस्ताक्षकर किये गये है। <u>तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए।</u> अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.08.2011 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव नहीं बनाया गया प्रतिवेदित होता है। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2011 बअनवान मोटाराम बनाम चौखाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में भरा गया नामांतकरण संख्या 109 दिनांक 02.09.2020 एवं अन्य समस्त अनुषांगिक कार्यवाही को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर <u>नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण</u> पर विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करे।

7/X/2020
(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 07.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर